

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक: एफ28 (5)परावि/प्रशा.2/अति.सहा.वि.अ.प्र.प्र.अ./स्था.पद./2024 (22519)/ जयपुर, दिनांक:

:: आदेश ::

विभागीय राजकाज आदेश 5726734 दिनांक 20.02.2024 के क्रम संख्या 82 द्वारा श्री राजाराम गुर्जर, अतिरिक्त विकास अधिकारी का पंचायत समिति देवगढ (राजसमंद) से पंचायत समिति ऋषभदेव (उदयपुर) एवं विभागीय राजकाज आदेश 5772755 दिनांक 22.02.2024 के क्रम संख्या 32 द्वारा श्री उत्तम प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी का पंचायत समिति देवगढ (राजसमंद) से जिला परिषद बाडमेर किया गया तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,
(रेखा सामरिया)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग संबंधित।
6. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
शासन उप सचिव-II

Signature valid

RajKaj Ref
5789084



Digitally signed by Rekha Samaria
Designation: Additional
Commissioner
Date: 2024.02.23 18:29:42 IST
Reason: Approved